Serial No. 12238 Circle:-:Danapur Book No. :- 1 Deed No. 11995

Serial No. 12238 Deed No. 11995

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **24/08/2019** by **Anil Kumar**
A stamp duty of Rs. **1141000**/- and other fees of Rs. **41500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **11995** in Book No. **1**, Volume No. **245** on pages from **274** to **286** and has been preserved in total **13** pages in C.D. No. **38** / Year **2019**

Date: 24/08/2019 Token No: 12907 /2019

Signature with Date
(**Aparna Shiva**)
Registering Officer, **Danapur**

Scanned by

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 22/08/2019 को **(1) श्री अनिल कुमार,** पिता का नाम स्व० वासुदेव सिंह, **(2) श्री अमन कुमार एवं (3) श्री अंकेत कुमार उर्फ अमित कुमार** दोनो के पिता का नाम श्री अनिल कुमार, सभी निवासी– गाभतल, गाँधी नगर, दानापुर, थाना– दानापुर, जिला–पटना, राज्य– बिहार, नागरिकता– भारतीय, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है।

मो०नं० – 07277952311

1

अनिल कुमार 22/8/19

Aman Kumar 22/08/2019

अंकेत कुमार

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

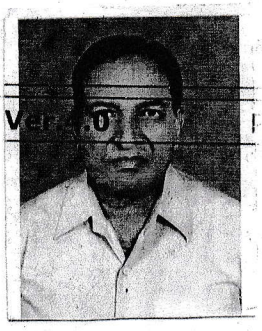
दस्तावेज जाचाँ

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 12907 Reg. Year 2019 Serial Number 12238 Deed Numb

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Claimant	Niteen Kumar					
Sig.	Niteen Kumar. 24/08/19					
Claimant	Ram Babu Ray					
Sig.	Rambabu Ray 24/8/19					
Claimant	Rukhshar Khanam					
Sig.	Rukhsar Khanam. 24/8/19					
Claimant	Vijay Kumar					
Sig.	Vijay Kumar 24/8/19					
Executant	Aman Kumar					
Sig.	Aman Kumar 24/08/2019					
Presented By	Anil Kumar					
	अनिल कुमार 24/08/2019					
Executant	Anil Kumar					
Sig.	अनिल कुमार 24/08/2019					
Executant	Anket Kumar Urf Amit Kumar					
	अंकेत कुमार 24/08/2019					

× Photo × Thumb × Index × Middle × Ring × Little



SCORE Ver. 2.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2802sc

अनिल कुमार
22/08/2019

विकास इंप दिवार गए भवन का
निरीक्षण किया पाया पूर्वी आसनीय
मोहल्ला सड़क पर अवस्थित है
जिसकी चौड़ाई दस्तावेज के अनुसार
है, जो पूर्वापर दक्षिणोत्तर दिशा में
1/2 कि.मी. अंदर अवस्थित है।

एवं

मेसर्स मैत्रेयी महानिर्माण एल.एल.पी., निबंधन कार्यालय–207, ब्लॉक–बी, साई वाटिका फुलकुंवर पैलेस, आर.के.पुरम, दानापुर खगौल रोड, थाना– दानापुर, जिला– पटना है जो लिमिटेड लैबलिटी पार्टनरशीप एक्ट–2008 के अंतर्गत संचालित है, जिसका LLPIN No. AAO-0952 है द्वारा **पार्टनर्स (1) श्री राम बाबु राय,** (DIN-08010173) पिता का नाम श्री कुशेश्वर राय, निवासी– आनन्द बाजार, पोस्ट– दानापुर कैंट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, पिन–801503, **(2) श्री नितीन कुमार,** (DIN-08332781) पिता का नाम श्री रामदीप सिंह, निवासी– नया टोला समुना, पोस्ट– दानापुर कैंट, थाना– दानापुर, जिला– पटना, पिन–801503 **(3) श्री विजय कुमार,** (DIN-08341494) पिता का नाम श्री विश्वनाथ राय, निवासी– जमालउद्दीनचक, शिवमंदिर के निकट, पोस्ट एवं थाना– खगौल, जिला– पटना, पिन–801105, **एवं (4) रूखसार खानम,** (DIN-06500285) पति का नाम– कौशर खान, निवासी– 207 एस.एस. इन्कलेव, आशियाना दीघा मेन रोड, थाना– राजीव नगर, जिला–पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयनकर्त्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।
मो0नं0 – 09572639333

यह कि जमीन मालिक मौजा– दानापुर शहजादपुर, थाना– दानापुर, जिला– पटना के थाना नं.– 21 (इक्कीस), तौजी नं.– 5400,खाता नं0– 281 (दो सौ एकासी), सर्वे प्लौट नं0– 939 (नौ सौ उन्नचालीस) का अंश में कुल एराजी–65 डिसमील (पैसठ डिसमील) है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में है, जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के कंडिका–5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि इस विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालिक संख्या–01 के चचेरे दादा एवं जमीन मालिक संख्या–2 एवं 3 के चचेरे परदादा शिवगोविन्द सिंह वल्द स्व. गोपालशरण सिंह की अपने संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति है जिसे उन्होने निबंधित विक्रय पत्र द्वारा मिस्टर जार्ज एलफिस्टन मिलर वल्द कैप्टन लुईस जार्ज मिलर, निवासी– चकजोनैदपुर, परगना– फुलवारी, थाना– दानापुर, जिला–पटना से क्रय किये थे जिसका निबंधन जिला निबंधन कार्यालय पटना में पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–28, पेज संख्या–181 से 183 तक

अर्जुन कुमार 22/08/2019

Aman Kumar 22/08/2019

अखिलेश कुमार 22/08/2019

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

Sub District Registry Office,Danapur

oken Number 12907 | Reg. Year 2019 | Serial Number 12238 | Deed Num

sType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
ntified By	Rahul Kumar					

24/8/19



SCORE Ver.4.0 | Powered by IL&FS Technologies Ltd. | Biometric Captured By 2802sop0

पर अंकित कर वसीका संख्या–2070/1935 द्वारा दिनांक 28.7.1935 को हुआ है।

यह कि गोपाल शरण सिंह के दो पुत्र यथा शिव गोविन्द सिंह एवं बासुदेव सिंह हुए। दोनो भाई अपने पिता की पूर्ण सम्पति एवं संयुक्त परिवार में क्रय की गई सम्पति पर अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् संयुक्त रूप से कब्जा–दखल में रहते हुए शिव गोविन्द सिंह अपने दो पुत्र बबुआनंद सिंह एवं रामकरन सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् दोनो भाई संयुक्त रूप से कब्जा–दखल में रहते हुए अपने चाचा बासुदेव सिंह के बीच निबंधित वशीका तकशीमनामा से बंट गये जिसका निबंधन अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में पुस्तक संख्या–1, वसीका संख्या–1215/1952 द्वारा दिनांक 03.05.1952 को हुआ है, जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पति बासुदेव सिंह को जमीमा नं.–01 मे वर्णित सम्पति हिस्से में मिली जिसपर बासुदेव सिंह अपनी पत्नी सारो देवी एवं पुत्र अनिल कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बासुदेव सिंह के मृत्यु के पश्चात् सारो देवी एवं अनिल कुमार अपने दो पुत्र अमन कुमार एवं अमित कुमार के साथ बासुदेव सिंह की पूर्ण सम्पति पर संयुक्त रूप से कब्जा दखल में रहते हुए आपस में बंट गये जिसके अनुसार चारो हिस्सेदार को लेख्य सम्पति एराजी–65 डिसमील जमीन में सभी को 1/4 हिस्सा (16.25 डिसमील) के साथ अन्य सम्पति प्राप्त हुआ। अपने–अपने हिस्से में प्राप्त सम्पति पर सभी कब्जा–दखल में रहते चले आ रहें थे कि सारो देवी अपने पुत्र अनिल कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गयी। सारो देवी के मृत्यु के पश्चात् उनके हिस्से की पूर्ण सम्पति पर अनिल कुमार निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक कब्जा–दखल में रहते हुए चले आ रहे है जिसके अनुसार अनिल कुमार लेख्य प्लौट में एराजी–32.5 डिसमील जमीन तथा अमन कुमार एराजी– 16.25 डी0 एवं अमित कुमार एराजी– 16.25 डी0 पर दखल कब्जे में रहते चले आ रहे है तथा अपना–अपना नाम बिहार सरकार के अंचल कार्यालय दानापुर में दर्ज कराकर जमाबंदी संख्या–1999, 2000 एवं 2002 वर्ष 2018–19 पर लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रहें है। इस तरह लेख्यकारी लेख्य सम्पति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

अंजनी कुमार 22/08/2019

Aman Kumar 22/08/2019

अनिल कुमार 22/08/2019

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

3. लेख्य प्रकारः– भूखंड विकसित करने हेतु विस्तारक के साथ अनुबंध।

4. भूखंड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कुल निर्मित क्षेत्र का **40** प्रतिशत निर्मित क्षेत्र जमीन मालिक का होगा एवं **60** प्रतिशत विस्तारक का होगा।

5. भूखंड का विवरणः–कुल क्षेत्रफल–65 डिसमील (पैसठ डिसमील), जो मौजा– दानापुर शहजादपुर, महल्ला– दानापुर बैंक कॉलोनी गोला रोड, थाना– दानापुर, जिला– पटना के थाना नं.– 21 (इक्कीस), तौजी नं.– 5400, खाता नं0– 281 (दो सौ एकासी), सर्वे प्लौट नं0– 939 (नौ सौ उन्नचालीस) है, जो अवर निबंधन कार्यालय दानापुर एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर के अन्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो0– 5 रूपये, अलोवे शेष, अंचल कार्यालय दानापुर के माध्यम से जमाबंदी संख्या– 1999, 2000 एवं 2002 वर्ष 2018–19 पर लगान भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

चौहद्दी

उत्तर	–	सहायक सड़क
दक्षिण	–	प्लौट नं.– 940 हाल खरीदार
पूरब	–	प्लौट नं.– 938 हाल खरीदार
पश्चिम	–	प्लौट नं.– 951 एवं 952 हाल खरीदार

नोट :– उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2016–17 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं.– 117 एवं जोन– 3** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो. 5,20,00,000/– (पॉच करोड़ बीस लाख) रूपया है।

6. यह कि नक्सा स्वीकृति के एक महीना के भीतर विस्तारक एवं भूखंड स्वामी अपने–अपने हिस्से का निर्धारण कर लेगे एवं अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र का **1000**/– रू0 स्टॉम्प पर आगे–पीछे, उत्तर–दक्षिण सभी दिशाओं के फ्लैट का निष्पादन करेगें।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधी बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते है। अतः प्रस्तावित बहुमंजिला ईमारत निर्माण हेतु जमीन मालिक/प्रथम पक्ष एवं विकासक/द्वितीय पक्ष के बीच निम्नलिखित तथ्यों और शर्तो के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा एकरारनामा किया जाता है जिसका

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

प्रथम पक्ष बिहार सरकार एवं रेरा के नियमों/कर का अक्षरशः पालन/भुगतान करने को बाध्य होंगे।

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि यह भूखंड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण–भार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्युजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य है और यह भूखंड बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि वे इस भूखंड के पूर्णतः मालिक है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परंतु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य इकरारनामा (एग्रीमेंट) स्टैंड करता है।

2. यह कि इस एग्रीमेंट के बाद उभय पक्ष इस परियोजना के कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों, इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह की सहायता प्रदान करेगें तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेगे जैसे उक्त भूखंड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मेटैरियल जमा करने हेतु एवं अन्य बिकास पूर्व कार्य जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष एकरारनामा सम्पन्न होने के साथ लेख्य प्लौट द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौप दिये है।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेगें और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ा जायेगा।

5. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूखंड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य

22/08/2019

Aman Kumar
22/08/2019

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेंट को निरस्त करने हेतु एवं उस भूखंड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च, किये गए राशि लेने के हकदार होगें, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने निर्माण कार्य में किसी प्रकार की दिक्कतें पैदा नहीं करेगें।

6. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन तथा पार्किंग में प्रथम पक्ष का **40** प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष का **60** प्रतिशत हिस्सा होगा।

7. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उपर वर्णित भूखंड स्वामी के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नही है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या– 6 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होंगे न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

8. प्रथम पक्ष जरूरत पड़ने पर इस भुखंड पर इस बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेंगें तथा स्वीकृत नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।

9. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय–समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के पूर्व विकासक को अपनी उक्त लेख्य जमीन से संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जमाबंदी रसीद एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे।

10. प्रथम पक्ष सहमत है कि वर्त्तमान समय में लागू परिस्थिति या नियम/आदेश के अतिरिक्त अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी अपरिहार्य कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखंड से संबंधित किसी तरह का विवाद, न्यायालय का आदेश से बंद हो या वैसी परिस्थिति में जो कि बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

अंकित कुमार 22/08/2019

Aman Kumar 22/08/2019

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner 22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner 22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner 22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner 22/8/19

11. अगर द्वितीय पक्ष को किसी समय भविष्य में उस सम्पति/भवन पर से हटाना या छोड़ना पड़ता है जैसे टाईटील में कमी या इस तरह के अन्य विवाद के चलते सलटना होगा तो उभय पक्ष की रजामंदी से होगा।

12. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि निर्माण कार्य का निरीक्षण स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते है और किसी तरह का त्रुटि होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवायेगें तथा अधिकृत या वैध कार्य बंद कराने का अधिकार जमीन मालिक/प्रथम पक्ष को नहीं होगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष नक्शा स्वीकृती के पश्चात् रेरा निबंधन होने की तिथि से **3 वर्ष 6 माह** में निर्माण करके प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा सौप देंगे। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नही मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को 6 (छह) माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जाएगा।

14. यह कि जमीन मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने–अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने–अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

15. बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिक्रय–पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकतें हैं या अपने पास रख सकतें हैं उसमें

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौंपेगें उसके बाद ही द्वितीय पक्ष अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौंपेंगे।

16. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सबसे उपरी छत, सेट बैक, सिढ़ी, लिफ्ट इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

17. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस कम्पलेक्स का नाम **''बासुदेव मैत्रेयी पैलेस'** रहेगा।

18. सभी तरह के खर्चों का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की ही होगी।

19. बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प, सिवरेज, अग्निसमन की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विधुत एवं जेनरेटर द्वारा विधुत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेंगे तथा विधुत कनेक्शन विधुत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालिक लेवेंगे।

20. यह कि प्रथम पक्ष के बचे हुए जमीन के भू–भाग पर इस अपार्टमेंट के रास्ते से निर्विवाद रूप से आने–जाने का अधिकार बना रहेगा। इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

21. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकासक द्वारा विकासक के खर्च पर पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से यानि 40 प्रतिशत के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे तथा उसी अनुपात में प्रथम पक्ष या उनके क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

22/08/2019

22/08/2019

22/08/2019

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner

22. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक–ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/ आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ **60** प्रतिशत (साठ प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेंगे।

23. यह कि विकासक को उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए मिलता है तो वैसी स्थिति में विकासक उक्त प्लौट के साथ बाद में मिले प्लौट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है तथा उक्त प्लौट पर विकास करने हेतु नक्शा स्वीकृति के बाद उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए विकासक को मिलता है तो विकासक उक्त प्लौट से बाद में मिले प्लौट पर आने–जाने के लिए रास्ता का उपयोग करेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

24. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति आपस मे मिलजुल कर अथवा कोर्ट के तहत किया जाएगा।

मोड ऑफ पेमेंटः– कुल नन रिफंडेवल रकम मो. 50,00,000/– (पचास लाख) रूपया तय है जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया/जायेगाः–

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

1. कुल नन रिफंडेबुल राशि का 50 प्रतिशत राशि रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट के पूर्व निम्न प्रकार से भुगतान किया गयाः

चेक नं./नगद	दिनांक	बैंक	रकम
Cash	**22.02.2019**	**----**	**3,00,000/-**
021481	**26.03.2019**	**SBI**	**5,00,000/-**
021482	**26.03.2019**	**SBI**	**5,00,000/-**
023291	**21.08.2019**	**FEDERAL**	**4,00,000/-**
023292	**21.08.2019**	**FEDERAL**	**4,00,000/-**
023293	**21.08.2019**	**FEDERAL**	**4,00,000/-**

2. शेष नन रिफंडेबुल रकम नक्शा स्वीकृति के पश्चात् रेरा से निबंधन होने के तिथि से छह माह के अन्दर विकासक द्वारा जमीन मालिक को भुगतान किया जायेगा।

एनेक्चर

कम्पलेक्स के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरणः–

1. फाउंडेशन आर0सी0सी0 पाईलिंग भूकम्प रोधी ।
2. स्ट्रक्चर आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईटवर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ (उच्च कोटि का) बिड़ला गोल्ड/बिड़ला सम्राट ।
4. छत आर0सी0सी0
5. फर्श मार्बल/विट्रीफाईड टाईल्स (कजारिया/जॉनसन/सोमानी)।
6. प्लास्टर दिवाल सिमेंट मोर्टार (1:6) सिलिंग सीमेन्ट (1:4)
7. दरवाजा हार्डउड (मरांडी सखुआ) लकड़ी का चौखट, 32 मी.मी. मोटा प्लश डोर प्राइमर सहित।
8. खिड़की लकड़ी फ्रेम, लोहा ग्रील एवं शीशा लगा।
9. रसोई घर मार्बल का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच ग्लेज्ड टाईल्स
10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग/फ्लोरिंग टाईल्स।
11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ड पी0बी0सी0 कॉनड्युट वायरिंग सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटि का फिटींग स्वीच के साथ (एंकर / हॉवेल्स)।
12. दीवाल फिनिशिंग अंदर से वालपुटी ।

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

For Maitreyee Mahanirman LLP
Designated Partner
22/8/19

13. टी0 वी0 प्वाईट, सभी कमरों में एक प्वाइन्ट
14. टेलिफोन प्वाइंट, सभी फ्लैटों में एक प्वाइंट
15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।
16. जेनेरेटर ध्वनि रहित (महिन्द्रा / क्रिलोसकर) एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा ।
17. लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का (ओटिस / कोने)।
18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।
19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़, सिमेंट एवं ईंट (ISI) मार्क का होगा।

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने–अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

Aman Kumar
22/08/2019

गवाहगण का हस्ताक्षरः–

1. Rahulkumar
Son of Binay kumar Sinha
Add - Pipapulkad
Danapur Cantt 22/8/19

अनिल कुमार
22/08/2019

अंकित कुमार
22/08/2019

(प्रथम पक्ष)

भू–स्वामी का हस्ताक्षर

For Maitreyee Mahanirman LLP

For Maitreyee Mahanirman LLP

2. Vivek Kumar
S/o - Bipin Kmar Sharma
Add - Sultanpur Koeri Tola
Danapur Cantt, Patna
22/8/19

Rambabu Roy
22/8/19
Designated Partner
For Maitreyee Mahanirman LLP

Vijay Kumar
22/8/19
Designated Partner
For Maitreyee Mahanirman LLP

Vineen Kumar.
22/8/19 (द्वितीय पक्ष)

विकास कर हस्ताक्षर

Designated Partner

Rukhsar Khanam
22/8/19

मुद्रित किया:–

(संजीव कुमार)
समाहरणालय, पटना।

प्रारुप तैयार किया।

21.08.2019

(सुजय कुमार)
विलेख लेखक,
लाईसेंस नं.– 132 / 02
निवासी– 'प्रतिभा निवास',
पूर्वी जगनपुरा, पटना–27.

चेक लिस्ट से मिलान किया सही पाया
अनिल कुमार
24/08/2019



24-08-15

Endorsement of Certificate of Admissibility

...e under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ...Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

...amp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	1141000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	1182500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	41000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		
							TOTAL-		41000

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 41500

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Date: 24/08/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Saturday, 24th August 2019 by Anil Kumar S/O Late Basudev Singh by profession Others. Status - Executant

अनिल कुमार
24/08/2019

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:24/08/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Rahul Kumar' age '25' Sex 'M', 'S/O Vinay Kumar', resident of 'Akhara Ghat, Pipapur, Khagaul, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 24/08/2019

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 245 on pages on 274 286, for the year 2019 and stored in CD volume No. CD-38 year 2019 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 24/08/2019

Registering Officer
Danapur

Token No. : 12907 Year : 2019 S.No. : 12238 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 11995

8/24/2019

Gov

Valid Upto	:	05/09/2019
GRN	:	BHR201908343882M
Department	:	Registration, Excise & Prohibition Department
Office Name	:	Danapur
Financial Year	:	2018-2019
Treasury	:	Danapur

ACCOUNT HEAD DETAILS	AMOUNT
R0030021030001-75-49-STAMP DUTY ON IMPRESSING OF DOCUMENTS	1141000.00
R0030031040001-75-49-FEES FOR REGISTERING DOCUMENTS	41000.00
R0029008000006-00-01-LANDLORD REVENUE AND PROCESSING FEES	0.00
Total Amount : Rupees Eleven Lac Eighty Two Thousand Only	1182000.00

PAYER DETAILS

Tax ID (if any)	:	
Unique Id	:	
Name	:	MAITREYEE MAHANIRMAN LLP
Address	:	FLAT NO. 207, Block-B, SAI VATIKA PHOOL KUNWAR PALACE, R.K.PURAM, KHAGAUL ROAD, DANAPUR, PATNA

PAYMENT DETAIL

BANK Name	:	SBI
Branch	:	

FOR USE IN RECEIVING BANK

CIN	null	REF No	CPU1882923
Date & Time :	21/08/2019 03:26:54 PM		
Scroll No & Date :			

Cut Here

DEPOSIT / PAY IN SLIP

State Bank of India
Branch : Danapur 01254

Date : 21/8/2019

SB/CA/RD/OD/CC/TL/DL A/c No./Credit Card No.

3 0 9 7 8 4 4 6 1 9 8

Name Score

Tel. No.

Amount Rs. 1182000 P. 00

Rupees in words One million one hundred eighty two thousand only

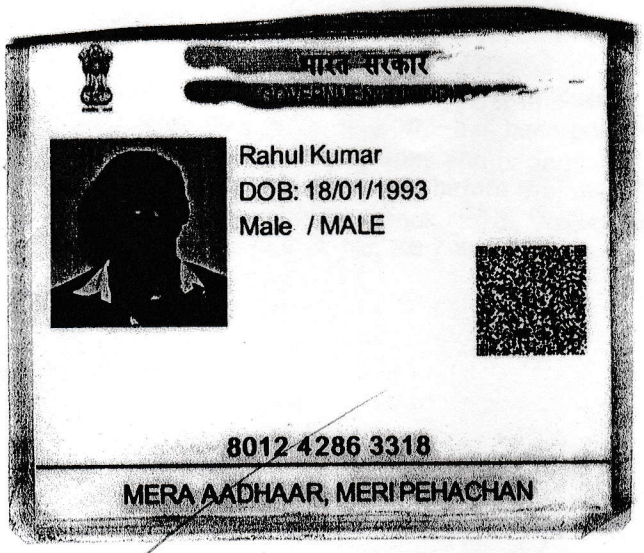
Cash/Cheque No./Pay Order No.	Name of Bank & Branch	Rs.	P.
	Total	1182000	00

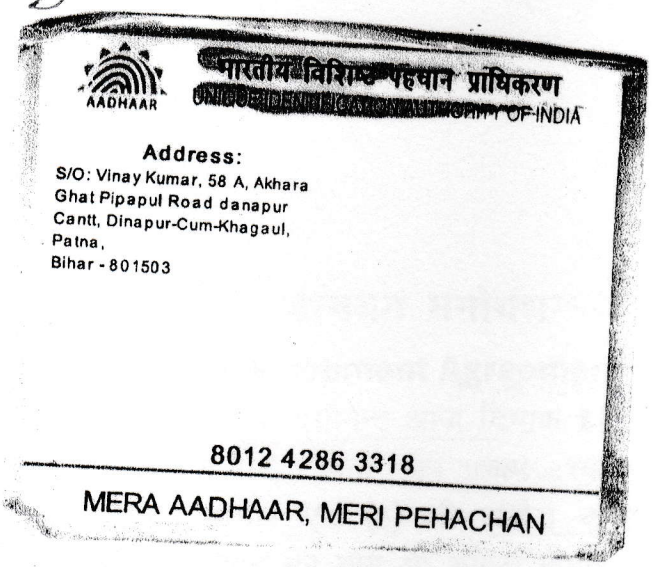
SBI Toll Free, 24 Hours Call Centre No. 1800 2100 3800, 1800 11 2211

SWO / Passing Officer

P.F. No. 392723
SNEHLATA HEMBRAM

Cut Here





पहचान

Rahulkr
22/8/19

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी महोदय,

पटना।

विषय :- दाखिल खारिज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन है कि हमलोग 11-10-85 को विभाजित होने के पश्चात आपके कार्यालय में दाखिल खारिज कराने का आवेदन पत्र दे चुका था, लेकिन अभी तक कार्य सम्पादन नहीं हो सका है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मै पुनः विभाजन का विभाजक वितेखा संलग्न करते हुए अनुरोध करता हूँ कि हमारा हिस्सा हमारे नाम से दाखिल कर देने की कृपा किया जाय, जिससे कि मै अपना अलग अलग सरकारी मालगुजारी का रसीद कटा सकूँ। और अपने हिस्से पर काबिज रह सकूँ।

इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगा।

विश्वास भाजन

1. 
2. अनिल कुमार
3. अमन कुमार
4. अमित कुमार

श्रीमान् अंचलाधिकारी महोदय
पटना।
मैं उपस्थित रूप से
सूचित करता हूँ कि मौजा खाड़ी-देवी
के स्व. बाबूदेव सिंह की पत्नी हैं
हमने अपने सहस्यों के बीच अपने जमीन का
बटवारा पूर्व में ही कर चुके हैं।
धन्यवाद

अध्यक्ष
दानापुर निजामत नगर पालिका

यह विभाजन विलेख 11-10-85 को लिखा गया ।
विभाजन निम्नलिखित व्यक्तियों के बिच हुआ :-

1. श्रीमती सारो देवी , जौजे स्व० वासुदेव सिंह ,
   सा०- गांधी नगर
2. श्री अनिल कुमार वल्द स्व० वासुदेव सिंह,
3. श्री अमन कुमार वल्द श्री अनिल कुमार,
4. श्री अमित कुमार वल्द श्री अनिल कुमार,

सभी ग्राम- दानापुर गांधी नगर (गांधीतल) थाना- दानापुर पत्रालय दियारा, जिला- पटना के निवासी एवं व्यवसाय से कृषक है जो आगे पक्षकार कहलायेंगे जिस शब्दों के अन्तर्गत प्रसंग के विरुद्ध अर्थ को छोड़ उनके निर्दिष्ट उत्तराधिकारी तथा प्रतिनिधि निहित है ।

जबकि परिवार के सदस्यों के बिच मतभेद होगया है । तब यह वांछनीय नहीं है कि सदस्यगण एक संयुक्त हिन्दू परिवार बनाये के रखें ।

जबकि उपयुक्त पक्षकारों के मित्रों एवं हितचिन्तकों द्वारा हस्तक्षेप करने पर संयुक्त पारिवारिक सम्पदा को जिनको पक्षकारों ने विभाजित करने को स्वीकार किया और जिसको सभी पक्षकार अपने व्यक्तिगत तथा अपने नाबालिग बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में अपने उपयुक्त नाबालिग तथा परिवार की सभी सम्पत्तियों के चाहे वे किन्हीं के नाम अथवा नामों से खरीदे गये हों अथवा राजस्व अभिलेखों में अंकित हो उन सभी को चार बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिये जायें।

अब

1. यह विलेख निम्नांकित साक्ष्य करता है :-
   उक्त करारनामें के अनुसार इस विभाजन के पक्षकार इसके द्वारा उस उद्देश्य से संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति का चार हिस्सों में विभाजित करके चार अनुसूचियों में दर्ज कर दियागया है उसके अनुसार अनुसूची के क, ख, ग, घ में अंकित सम्पत्तियों क्रमशः पक्षकार संख्या 1,2,3,4 का अभ्यर्पित तथा आवंटित है ।
2. उक्त पक्षकारों में से प्रत्येक इसके द्वारा दूसरे पक्षकारों को आवंटित सम्पत्तियों को आवंटित सम्पत्तियों में से अपना हित मुक्त कर लेता है और प्रत्येक पक्षकार को अलग अलग उस पर का अपना अधिकार एक और हित हस्तांतरित करता है । सभी

3. इस विभाजन पर किसी पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नही होगी ।
4. इस विलेखा की चार प्रतियां तैयार की गई है जिस पर सभी का हस्ताक्षर होगा और जिसकी एक एक प्रति सभी पक्षकार को दी जायेगी ।
5. पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि जो सम्पत्ति जिसके अधिकार में आवंटित है उसका लगान वगैरह स्वयं वहन करेगा।
6. इस विलेखा के अन्तर्गत उसके दिए गये अधिकार अथवा हक के प्रति आश्वस्त करने हेतु अथवा उपयुक्त किसी सम्पत्ति को दाखिल खारिज कराने अथवा राजस्व या दूसरे लोक प्रलेखों में प्रलिखित कराने के निमित सम्पत्ति ग्राही पक्षकार के खर्च से करने में कोई उजूर नही करेगा । और इनमें कोई बाधा नही डालेगा।

अनुसूचि(क) आवंटित श्री मती सारोदेवी

तौजी नं०-	खाता नं०-	खेसरा नं०-	रकबा
5400	233	920	0-55
	236	895	0-16½--
	254	921	0-10
	281	939	0-16-¼-
			0-97¾--डी0

अनुसूचि (ख) आवंटित श्री अनिल कुमार

तौजी नं०-	खाता नं०-	खेसरा नं०-	रकबा
5400	236	547	0-14
	224	949	0-96
	236	895	0-32-½-
	281	939	0-16-¼-
			1-58¾-

अनुसूचि (ग) आवंटित श्री अमन कुमार

तौजी नं०-	खाता नं०-	खेसरा नं०क	रकबा
5400	233	865	0-76½--
	247	866	
	236	895	0-4
	281	939	0-16¼--
			0-96¾

अनुसूचि (ग) आवंटित श्री अमित कुमार

तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा
5400	233	365	0-76-1/2
	247	866	
	236	895	0-4
	281	939	0-16-1/4
			0-96-3/4

उपयुक्त प्रकार विभाजन का यह विलेख उपयुक्त तिथि को निम्नांकित साक्षियों के सामने निष्पादित किया।

साक्षी

1. [illegible]
2. महेन्द्र प्र० सिंह
3. राम सेवक सिंह
4. श्याम नारायण राय
5. गोपाल कुप्रा

1. 
2. अनिल कुमार
3. अमन कुमार
4. अमित कुमार

सम्पूर्ण जमीन जिसका बंटवारा हमलोगो ने किया है पूर्व जिसका पूर्ण विवरण निम्नोलेखित है ।

तौजी०	खाता०	प्लोट०	ए०	डी०
5400 -	233	- 920	0-	55
		865	1-	0 2
	224	949	0-	96
	236	895	0-	57
		547	0-	14
	281	939	0-	65
	247	866	0-	51
	254	921	0-	10

4- 50 ? चार एकड़ पच्चास - डीसमिल?

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0332606177**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **दानापुर**
जमाबंदी सं0:- **2000** भाग वर्तमान:- **8** पृष्ठ संख्या:- **9678**	मौजा/थाना सं0:- **21**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **ANIL KUAMR** अभिभावक का नाम:- **LT VASUDEV SINGH**	पता:- **DANAPUR PATNA ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
224,236,281	547,895,939,949	1 एकड़ 58.75 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	2019-2020 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	217.50	0.00	217.50	0.00	220.00	2019-2020 से 2019-2020
कुल	367.50	0.00	367.50	0.00	370.00	2019-2020 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	150.00	150.00	2019-2020 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	217.50	220.00	2019-2020 से 2019-2020	
कुल	0.00	367.50	370.00	2019-2020 से 2019-2020	

कुल बकाया-370.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Three Hundred Seventy Rupees

तिथि- **10-06-2019**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0985085301**
(Receipt No.)

जिला:- **Patna**	अंचल:- **Danapur**
हल्का:- **नगर परिषद् दानापुर**	मौजा :- **दानापुर**
जमाबंदी सं0:- **2001** भाग वर्तमान:- **8** पृष्ठ संख्या:- **9748**	मौजा/थाना सं0:- **21**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **AMAN KUAMR** अभिभावक का नाम:- **ANIL KUAMR**	पता:- **DANAPUR PATNA ,**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
233.247,236.281	865.866,895.939	0 एकड़ 96.75 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	2019-2020 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	2019-2020 से 2019-2020
कुल	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00	2019-2020 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	200.00	200.00	2019-2020 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	290.00	290.00	2019-2020 से 2019-2020	
कुल	0.00	490.00	490.00	2019-2020 से 2019-2020	

कुल बकाया-490.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Four Hundred Ninety Rupees

तिथि- **15-05-2019**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

biharbhumi.bihar.gov.in/rent/citizen/payment_receipt.aspx?uid=116808ddf9b832c095fa2d6aba1394ee&did=tacYOXFWGOnGkCIfn

बिहार भूमि

राजस्व एव भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No 0748103071
(Receipt No.)

जिला:- Patna	अंचल:- Danapur
हल्का:- नगर परिषद् दानापुर	मौजा :- दानापुर
जमाबंदी सं0:- 2002 भाग वर्तमान:- 8 पृष्ठ संख्या:- 9806	मौजा/थाना सं0 - 21
जमाबंदी रेयत का नाम:- AMIT KUMAR अभिभावक का नाम:- ANIL KUAMR	पता:- DANAPUR PATNA ,

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
233, 247,236,281	865, 866,895,939	0 एकड़ 96.75 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2019-2020 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	145.00	0.00	145.00	0.00	150.00	2019-2020 से 2019-2020
कुल	245.00	0.00	245.00	0.00	250.00	2019-2020 से 2019-2020

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	100.00	100.00	2019-2020 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	145.00	150.00	2019-2020 से 2019-2020	
कुल	0.00	245.00	250.00	2019-2020 से 2019-2020	

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Fifty Rupees
कुल बकाया-250.00

तिथि- **23-04-2019**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायलय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

[illegible]
मुनाफे [illegible]

अनुसूची ३—फारम सं० ३६।
[illegible] एवं बन्दोबस्त पद्धति १९२७, फारम सं० ५३ (शाखा)

खतियान

बिहार [illegible]

दानापुर महाल दानापुर मौजा फुलवारी तौजी सं० 4800

थाना दानापुर पट्टी खाता सं० 31

स्वत्वधारी का नाम और उसकी खेवट-संख्या
मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसकी खेवट संख्या, यदि हो।
[illegible]

खतियान की क्रम संख्या।	अधिधारी का नाम, पिता का नाम, जाति और निवास।	खेत। खसरा संख्या।	चौहद्दी।	भूमि का वर्गीकरण।	रकबा एकड़ में। ए०	डि०	अभ्युक्ति।	गैर मगती लगान वाले हरेक खाते के सामने बताए कि उसपर कब्जा कैसे है। राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। १। लगान। २। सेस।	बंदोबस्त उचित लगान, यदि हो। १। लगान। २। सेस।	(१) अधिभोगी रैयत [illegible] (२) लगान [illegible] (३) कोई विशेष [illegible]
१	२	३	४	५	६		७	८	९	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	56	—			
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	56	—			
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	64		रु 6.20 [illegible] [illegible]		[illegible]

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, पटना
(आ०पी०ई०ई०)

खतियान।

(खाता)

मौजा	परगना	थाना नं०

पट्टी	खाता नं० 29

खेत।			खाता एकड़ में।		चौहद्दी।	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताएं कि उसपर कब्जा कैसे है।		(१) अधिभोगी रैयत की हैसियत और कब्जे की अवधि। (२) लगान किस प्रकार निश्चय किया गया, यदि धारा (प्रोग्रेसिव) हो तो विशिष्टियाँ। (३) कोई विशेष शर्तें और आनुषंगिक शर्तें यदि हों।
	चौहद्दी।			डि०		राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। १। लगान। २। सेस।	बंदोबस्त उचित लगान, यदि हो। १। लगान। २। सेस।	
	४		५		७	८	९	

Settlement Officer

26 SEP 1911

Sd/- [illegible]

535

5-0
1-00
3-75
0-10
0-15
10-03

सुजय सिंह

शशि भूषण सहाय 02.05.03